प्रारुप–11

प्रस्तावित कार्य हेतु वन भूमि की मांग का पूर्ण औचित्य एवं विस्तृत आख्या

प्रतिवेदन

परियोजना का नामः– जनपद टिहरी गढ़वाल में राज्य योजना के अन्तर्गत आमणी से गड़ाकोट तक मोटर मार्ग का निर्माण। लम्बाई 8.00 किमी0

जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड देवप्रयाग में राज्य योजना के अर्न्तगत आमणी से गड़ाकोट तक मोटर मार्ग (प्रथम चरण) के निर्माण के लिये शासनादेश संख्या 549/।।।(2)/14–49(प्रा0आ0)/2013 दिनॉक 29.01.2014 द्वारा लम्बाई 8 किमी0 हेतु लागत रु0 67.44 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुयी थी, जिसकी छाया प्रति प्रस्ताव में संलग्न है।

उपरोक्त मार्ग के निर्माण हेतु संरेखण अधीक्षण अभियन्ता 8 वॉ वृत लो0 नि0 वि0 नई टिहरी के पत्रॉक 869/734 याता–8/2014–15 दिनॉक 16.02.2015 द्वारा अनुमोदित किया गया है। अनुमोदित संरेखण पर मार्ग की कुल 8 कि0मी0 लम्बाई में 750.00 मीटर लम्बाई में आरक्षित वन भूमि 0.675 हे0, 1060.00 मीटर लम्बाई में सिविल वन भूमि 0.954 हे0 तथा शेष भाग 6190.00 मीटर लम्बाई में नाप भूमि 5.571 हे0 पडती है। आरक्षित एवं सिविल वन भूमि का 9.00 मी0 चौडाई में कुल क्षेत्रफल 1.629 हे0 है। मार्ग का प्रारम्भिक स्थान टिहरी हिण्डोलाखाल देवप्रयाग प्रमुख जिला मोटर मार्ग के स्थान आमणी बाजार से आगे देवप्रयाग की ओर किमी0 54 हे0मी0 4–6 है। अन्यत्र उचित प्रारम्भिक स्थल व अन्य कोई वैकल्पिक भूमि न मिल पाने के कारण चयनित भूमि पर ही परियोजना का निर्माण प्रस्तावित किया गया है। मार्ग का संयुक्त निरीक्षण लो0नि0वि0 विभाग, राजस्व विभाग तथा वन विभाग द्वारा किये जाने के उपरान्त ही वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव गठित कर स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु प्रेषित है।

कनिष्ठ अभियन्ता	सहायक अभियन्ता अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0 कीर्तिनगर	अधिशासी अभियन्ता अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0 कीर्तिनगर